6/9/25 | पंचायती पंजाड़ी राज वाली ऽ लागू किया जाता है? विस्तृत लिखिए उत्तर में लिखिए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म की ... में जारी ...
	आज शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर में दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो आदेश उतारा गया [illegible signature] ... अधिकारी करौली (राज०)	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

1. शकूर पुत्र इब्राहिम (फौत)
   1/1. साबिरा बेवा शकूर
   1/2. जब्बार पुत्र शकूर
   1/3. अन्सार पुत्र शकूर
   1/4. अनवार पुत्र शकूर
   1/5. समीम पुत्र शकूर
2. वहाब खां पुत्र सत्तार
3. हमीद खां पुत्र सत्तार
4. मुन्नवर खां पुत्र सत्तार
5. असलत खां पुत्र सत्तार
6. अख्तर पुत्र गफ्फार
7. नजमुद्दीन पुत्र कमरूद्दीन
8. फकरूद्दीन पुत्र कमरूद्दीन
9. शाहबुद्दीन पुत्र कमरूद्दीन
10. रहीमुद्दीन पुत्र कमरूद्दीन
11. खानउद्दीन पुत्र कमरूद्दीन
12. कलामउद्दीन पुत्र कमरूद्दीन
13. गुलाम हैदर पुत्र गुलाम नबी (फौत)
    13/1. सरफूद्दीन पुत्र गुलाम हैदर
    13/2. बदरूद्दीन पुत्र गुलाम हैदर
    13/3. रफीउद्दीन पुत्र गुलाम हैदर
    13/4. अन्जुम पुत्री गुलाम हैदर
    13/5. तबसुम पुत्री गुलाम हैदर
    13/6. शबनम पुत्री गुलाम हैदर
14. शिजाउद्दीन पुत्र गुलाम नबी (हजफ)
15. सलाउद्दीन पुत्र गुलाम नबी
16. अलाउद्दीन पुत्र गुलाम नबी
17. कुतबुद्दीन पत्र गुलाम नबी
18. मईनुद्दीन पुत्र गुलाम नबी
19. कमालुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन
20. जलालुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन
21. जाबुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन

सभी जाति मुसलमान निवासी करौली तहसील व जिला करौली

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमति लाड बाई पत्नि तुलसीराम जाति माली निवासी मैग्जीन मण्डरायल रोड करौली तहसील व जिला करौली
2. श्रीमति रूपबाई पत्नि किशनलाल
3. मुंशी पुत्र नारायण
   जाति माली निवासीयान पांडे का कुआं करौली तहसील व जिला करौली
4. तहसीलदार, तहसील करौली

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 188 आर टी एक्ट एवं खातेदारी की घोषणा तहत धारा 88 आर टी एक्ट एवं इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नं. 109 / 14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम प्रकाश गर्ग, एडवोकेट व श्री रमाकांत शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री श्याम सुन्दर शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नंबर 573 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 569/1 रकबा 1 बीघा 18 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपने हक में खातेदारी इन्द्राज अमल कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई व्यवधान न तो स्वंय डाले ना ही दीगर व्यक्तियों से डलवाये एवं भूमि को रहन वय नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, करौली को पालनार्थ भिजवायी जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 6.4.26 को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज.)

नोटः-इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:—109 / 14 तारीख रजु.-01.12.14

उनवान

1. शकूर पुत्र इब्राहिम (फौत)
   1/1. साबिरा बेवा शकूर
   1/2. जब्बार पुत्र शकूर
   1/3. अन्सार पुत्र शकूर
   1/4. अनवार पुत्र शकूर
   1/5. समीम पुत्र शकूर
2. वहाब खां पुत्र सत्तार
3. हमीद खां पुत्र सत्तार
4. मुन्नवर खां पुत्र सत्तार
5. असलत खां पुत्र सत्तार
6. अख्तर पुत्र गफ्फार
7. नजमुद्दीन पुत्र कमरूद्दीन
8. फकरूद्दीन पुत्र कमरूद्दीन
9. शाहबुद्दीन पुत्र कमरूद्दीन
10. रहीमुद्दीन पुत्र कमरूद्दीन
11. खानउद्दीन पुत्र कमरूद्दीन
12. कलामउद्दीन पुत्र कमरूद्दीन
13. गुलाम हैदर पुत्र गुलाम नबी (फौत)
    13/1. सरफूद्दीन पुत्र गुलाम हैदर
    13/2. बदरूद्दीन पुत्र गुलाम हैदर
    13/3. रफीउद्दीन पुत्र गुलाम हैदर
    13/4. अन्जुम पुत्री गुलाम हैदर
    13/5. तबसुम पुत्री गुलाम हैदर
    13/6. शबनम पुत्र गुलाम हैदर
14. शिजाउद्दीन पुत्र गुलाम नबी (हजफ)
15. सलाउद्दीन पुत्र गुलाम नबी
16. अलाउद्दीन पुत्र गुलाम नबी
17. कुतबुद्दीन पत्र गुलाम नबी
18. मईनुद्दीन पुत्र गुलाम नबी
19. कमालुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन
20. जलालुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन
21. जाबुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन

सभी जाति मुसलमान निवासी करौली तहसील व जिला करौली

—वादीगण

बनाम

1. श्रीमति लाड बाई पत्नि तुलसीराम जाति माली निवासी मैग्जीन मण्डरायल रोड करौली तहसील व जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

2. श्रीमति रूपबाई पत्नि किशनलाल
3. मुंशी पुत्र नारायण
जाति माली निवासीयान पांडे का कुआं करौली तहसील व जिला करौली
4. तहसीलदार, तहसील करौली

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 188 आर टी एक्ट एवं खातेदारी की घोषणा तहत धारा 88 आर टी एक्ट एवं इन्द्राज दुरूस्ती

—::निर्णय::— दिनांक :— 6/4/26

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वाके कस्बा करौली में आराजी खसरा नं0 573 रकव 2 बीघा 13 विस्वा जिसका साविक खसरा नं0 538 है एवं आराजी खसरा नं0 569 रकव 2 वीघा 10 विस्वा जिसका साविक नं0 खसरा नं0 537 है। वादीगण के पूर्वज इब्राहिम, कमरूद्दीन, गुलामनदी, मोहम्मद अलीमुद्दीन व निजीमुद्दीन के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की रही है। जिसका इन्द्राज सेटलमेंट 2015 की जमाबंदी में दर्ज हैं। यह जमीन वादीगण के पूर्वजों को स्टेट टाइम में वक्शीश दी गई थी और सेटलमेंट से पूर्व वादीगण के पूर्वज उक्त विवादित जमीन पर काबिज रहे। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। इनके वादीगण वारिसान हैं और खातेदार काश्तकार रहे हैं। उक्त विवादित जमीन आराजी खसरा नं0 569 में से राजकीय सडक में उपयोग में आ चुकी हे और उसका हाल खसरा नं0 569/2 रकवा 12 विस्वा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं आराजी खसरा नं0 569/1 रकवा 1 वीघा 18 विस्वा वादीगण के खाते व कब्जेकाश्त की हैं सडक के अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा वादीगण को आज तक प्राप्त नही हुआ है। इसके संबंध में पृथक से कार्यवाही की जा रही है। आराजी खसरा नं0 573 एवं 569/1 की भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध नही है ना कभी खाते व कब्जे में रही है ना वादीगण के पूर्वज अथवा वादीगण ने रहन—वय की है। किन्तु प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 चालाक किस्म के व्यक्ति है इन्होंने विला किसी अधिकार के वादीगण से छुपाते हुये वादीगण खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि का अंकन राजस्व अधिकारियों से मिलकर गैरकानूनी तरीके से अपने नाम

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

करा लिया है जो वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है और वादीगण के अधिकारों का हनन है। इसलिये वादीगण आराजी खसरा नं0 573 व 569 की खातेदारी घोषणा अपने नाम कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से मुताबिक सेटलमेंट उक्त विवादित भूमि की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करवाये जाने हेतु दिनांक 13.10.2014 को कहासुनी की तो प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 साफ इन्कार हो गये और कहने लगे कि विवादित भूमि हमारे खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। आपको कोई कार्यवाही करनी है तो अदालत खुली पडी है। प्रतिवादी के उक्त कथन से वादीगण के अधिकारी का हनन होने के कारण न्यायालय हाजा में दावा पेश करना पडा है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 से विवादित आराजी के उपयोग–उपभोग में बाधा न डालने के लिये उक्त तारीख को कहासुनी की तो राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिवादीगण व्यवधान डालने को आमादा है। इसलिए उनके खिलाफ वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। विनाय दावा वमुकाम करौली प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजीयात का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में वादी के हक में इन्कार करने एवं वादीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में बांधा दिनांक 13.10. 2014 को डालने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा उत्पन्न हुआ। दावा अन्दर म्याद व काबिज समाअत अदालत हाजा है। अंत दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादीगण के पूर्वजों को स्टेट टाइम में बकसीस में दी गई हो। वादीगण ने यह भी नही बताया है कि किसी स्टेट की किसी ऑथोरिटी ने वकसीस की व कब किस साल संवत् में की थी। बगैर साफ प्लीडिंग्स के जवाब दिया संभव नही है। वकसीस के वक्त कौनसा बुजुर्ग था जिसके नाम वकसीस की गई। सन् 1973 से पूर्व इब्राहिम, कमरूदीन, गुलामनबी अलीमुदीन, निजामुदीन, इन जमीनों पर काबिज काश्त कार थे। फरवरी 1973 में इन काश्तकारों ने मुन्शी पुत्र नारायण माली प्रतिवादी नं0 3 को जुबानी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

उपरोक्त जमीनों को बिल एवज 90 रूपये में विक्रय कर दीया और कब्जा जमीनों का मुंशी को दे दिया और जुबानी बेचान कर कब्जा देने के बाद बतौर याददास्त एक किता विक्रय की राशि की रसीद की लिखा पढी कर दी जिसे उन लोगों ने राजस्व अभियान कैम्प करौली ने बेचान स्वीकार करते हुये मुन्शी के नाम नामान्तकरण करा दिया। और मुन्शी वहैसियत खातेदारी इन जमीनों को जोतता बोता रहा है। विक्रय के बाद जमीनों को काबिल काश्त बनाया जमीनों की काश्त को कुआ खुदवाया बोर करके। लगातार 1973 से वाद से उन खातेदारी का कभी भी कब्जा इन जमीनों पर नही रहा है। कब्जा मुन्शी 1973 से अब 42 साल से लगातार खुले आम चला आ रहा है। वादीगण का मद नं0 1 में यह लिखना गलत है कि वादीगण उनके पूर्वक है और यह भी गलत है कि वादीगण काबिज हो। करौली में भूमाफियाओं का जोर हे उन्होने गलत सलाह वादीगण को दे दी कि दावा कर दो दवाब मे आकर कुछ रूपये मिल सकते है इसलिये यह दावा गलत तथ्यों पर झूठा मनगढंत बना कर पेश कर दिया है। वादीगण ने भी नही बताया है कि इब्राहिम कब मरा और कौन मरने पर वारिस हुआ, कब कमरूदीन मरा, उसका कौन वारिस बना कब गुलामनबी मरा, कब अलीमुदीन मरा, कब निजामुदीन मरा कौन वारिस हुआ। मोहम्मद के मुताबिक मरने पर हकूक जायदाद पैदा होते है। मरने के बाद से ही हक पैदा होते है और उसी दिन से बेचान को चैलेन्ज करने की मियाद शुमार होती है इसलिए वादीगण दावा की प्लीडिंग वोगस है जिन पर कोई रिलीफ नही दिया जा सकता है। वादीगण को कोई हक अब 18/11/2014 को दावा करते वक्त न तो घोषणा कराने का अधिकार है न हुक्म इम्तनाई दवामी जारी कराने का अधिकारी हैं। सडक में जमीन 12 विस्वा आना बताया गया है उसका मुआवजा प्रतिवादीगण को मिला है। वादीगण को मुआवजा का कोई अधिकार नही था। वादीगण अगर खातेदार काश्तकार होते तो उस समय कार्यवाही करते व हमारे अधिकार को चेलेंज करते। 569/1 व 573 नं0 की जमीनों से वादीगण का कोई ताल्लुक नही है। वादीगण न तो खातेदार है न उनका कब्जा है बेमतलब का झगडा करके प्रतिवादीगण को परेशान

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

करने को यह दावा किया है। प्रतिवादीगा मुंशी ने यह जमीन जुबानी खरीद 90 रूपया मे खरीद की है। उस समय के खातेदारान ने राजी खुशी 90 रूपये लेकर मुशी को जुबानी बेच कर कब्जा कराया है और उसके बाद बतौर याददास्त रसीद बेचान प्राप्ती 90 रूपये तहरीर की थी जो राजस्व अभियान मे पेश की और नामान्तकरण तस्दीक मुशी के नाम हुआ व खाता भी मुंशी के नाम हो गया। कुछ जमीन सडक मे एक्यूआर हो गई जिसका मुशी को सरकार मुआवजा दिया उसे भी चेलेन्ज नही किया जा सकता है। ऐक्यारेशन के बाद उसे अब रेवेन्यू कोर्ट में चेलेन्ज भी नही किया जा सकता है। मुझ मुंशी की जमीन एक्यारेशन के बाद 12 विस्वा खसरा नं0 569 में कम हो कर 1 वीघा 18 विस्वा रही जिसे मेने प्रतिवादी नं0 2 व 3 को 13/2/2009 को वय कर दिया व खसरा नं0 573 में से 1 वीघा 18 विस्वा प्रतिवादी नं0 2, 3 को भी 13/2/2009 को वय कर दी। बाकी बदस्तूर मुझ मुंशी के पास हैं। इब्राहिम, गुलामनबी, अलीमुदीन निजामुदीन पर काश्त नही होती थी पहले भी मुंशी के पिता जोतते थे इसलिये उन्होने 90 रूपये में यह जमीन मुंशी को बेच दी कब्जा करा दिया व 90 रूपये प्राप्त कर लियें। वादीगण ने 13/10/2014 को प्रतिवादीगण से कहा सुनी की हो यह भी गलत हैं। झूठी व मनगढंत तथ्य दर्ज कर दिये है। और स्वीकार नही हैं। वादीगण कोई दादरसी पाने के अधिकारी नही हैं। वादीगण न तो खातेदार है न कब्जेदार है। कब्जा व खाता प्रतिवादीगण हैं। वादीगण निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है। विनाय मुखासमत दिनांक 13/10/2014 को पैदा हुई। बिनाय मुखासमत तो सन् 1973 में ही पैदा हो चुकी थी। प्रतिवादी मुंशी को खातेदारान इब्राहिम कमरूदीन वगैरह ने कब्जा 1973 में ही दे दिया था। उन्होने 90 रूपये लेकर कब्जा जमीन मुंशी को दे दिया जुबानी बेचान कर दिया और खाता भी 1973 में चेन्ज हो गया और लगातार 1973 से प्रतिवादी काबिज है। जमीन पर वाहिद कब्जा प्रतिवादी मौके पर है। कागजो में इन्द्राज उसी समय रेवेन्यू रिकार्ड में है। मुआवजा जमीन सरकार ने दिया है। 1973 के बाद अब 42 साल बाद दावा किया है इसलिये कोई मियाद दावा की नही रहती है। दावा अंदर मियाद किसी

करौली (राज0)

हालत में नही है। वादीगण ने अपने बताये बुजुर्गों खातेदारान कब कब मरे उसकी तारीख सन संवत् कुछ भी नही लिखा। मरने पर कौन लडका कौन लडकी स्त्री मौजूद थी कुछ भी नही लिखा है। महज बोगस लडको के नाम लिखा दिये हैं। कब बुजुर्गों मरा कब राईटस पैदा हुये कुछ भी दर्ज नही है। ऐसी प्लीडिंग काबिल गौर नही है। वादीगण का दावा अंदर मियाद कैसे है यह भी नही बताया गया है। वादीगण का कोई हक 42 साल वाद अपने पूर्वजों के बेचान को चेलेन्ज करने का नही है। वादीगण काबिज काश्तकार नही हैं। प्रतिवादी का कब्जा 42 साल से खुले आम वादीगण देखते आ रहे है। प्रतिवादी ने जमीन बनाई हे पिलाई को वोर खुदवाया हे मुआवजा सरकार से लिया हे फिर भी आंख बंद किये हुये वादीगण बैठे रहे अब दावा घोषणा बगैर कब्जा की दादरसी मांगे स्पेसीफिक रिलीफ एक्ट धारा 34 के तहत वार्ड है। दावा सिविल कोर्ट के समाअत का है। बेचान को चेलेन्ज करने का हक सिविल कोर्ट को है। प्रतिवादी खातेदार काश्तकार काबिज हैं। वादीगण का कोई हक हकूक नही हैं। वादीगण शांति पूर्वक कब्जे में प्रतिवादीगण से नाजायज झगडा करना चाहते है और जबरन बेदखल भूमाफियाओं के जरिये कराने को यह दावा किया है। प्रतिवादीगण कानूनी तौर से खातेदार काश्तकार काबिज हैं। इसलिये प्रतिवादीगण प्रार्थना करते है कि वादीगण को पाबंद जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी किया जावे कि वादीगण की दावा वर्णित जमीनों पर मदाखलत मजाहमत नही करे प्रतिवादीगण के कब्जे में रूकावट नही डाले न अन्य से डलवाये बतौर काउन्टर क्लेम वादीगण के विरूद्व डिक्री पारित की जावें। अंत में दावा वादी खारिज एवं काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

काउन्टर क्लेम प्रतिवादी का जबावुल जबाव वादीगण द्वारा जबाव पेश कर कथन किया है कि प्रतिवादीगण का यह लिखना कि स्टेट की किस ऑथरिटी ने बखशीश की व किस साल संवत में की थी को प्रतिवादीगण ने बगैर वादीगण के अभिवचनों का दस्तावेजों को नजर अंदाज कर बिना किसी आधार के अभिकथित किया हे जो गलत हे और स्वीकार नही हैं। वाद पत्र के साथ संवत् 2010 लगायत 2013

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की हे जिसके कॉलम नं0 22 व 23 में स्टेट के समय विवादित आराजी को बखशीश में दिया गया। जिसमें मिसिल नं0 1545 अंकित है और इसी जमाबंदी के खाना नं0 3 लगायत 6 मे माफी बखशीश का इन्द्राजात मौजूद है जो कि वक्त सेटलमेंट संवत् 2015 का सेटलमेंट पर्चा का इन्द्राज प्रस्तुत किया हैं जिसके खाता संख्या 1991 पर संवत् 2010 लगायत 2013 के अनुसार दी गई माफी बखशीश का इन्द्राज उकत पर्चा में दर्ज है इससे स्पष्ट है कि विवादित जमीन वादीगण के पूर्वजों को जिनका नाम संवत् 2010 लगायत 2013 की जमाबंदी में दर्ज है को बख्शीश की गई हैं। प्रतिवादीगण द्वारा इसी मद में इब्राहिम, कमरूदीन, मोहम्मदीन, अलीमुद्दीन जिनको विवादित जमीन पर काबिज होना स्वीकार किया गया है और सन् 1973 में उक्त काश्तकारों ने मुंशी पुत्र नारायण माली प्रतिवादी नं0 3 को 90/-रूपये में विक्रय कर कब्जा दे दिया और विक्रय की राशी की लिखा पढी कर दी गई है। यह विक्रय बावत् गलत तथ्य अंकित किये हैं। इसी मद में मुंशी पुत्र नारायण माली ने 90/-रूपये में जुबानी बेच दिया हो गलत दर्ज किया हुआ है क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण में विक्रय की तहरीर चस्पा होना दर्ज है जो कि प्रतिवादीगण के अभिवचनों के विरोधाभासी हे अगर वास्तव में 90/-रूपये में विक्रय किया होता तो विक्रय की तहरीर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती। सारी कहानी कपोल कल्पित है कभी भी विवादित भूमि के वादीगण के पूर्वजों ने ना तो विक्रय किया ना ही कभी कब्जा दिया मात्र जमीन को बनाने और कुंआ खुदाने से वादीगण की खातेदारी समाप्त नही की जा सकती हैं। राजस्व भूमि में किसी प्रकार का कोई लगातार कब्जा अव्वल तो प्रतिवादीगण का रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज जिसमें वादीगण का कब्जा साबित होता हो दस्तावेज पेश नही हुये हैं। इस प्रकार लगातार कब्जा होने का तथ्य प्रतिवादीगण ने गलत दर्ज किया है ना ही वादीगण की इससे खातेदारी समाप्त होती हें इसी मद में प्रतिवादीगण द्वारा यह लिखना कि वादीगण उनके पूर्वज है गलत अंकित किया है और मद नं0 1 में वादीगण ने ऐसा कोई तथ्य दर्ज नही किया है बल्कि वादीगण ने अपने

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

पूर्वजो का नाम अंकित किया है। भूमाफियाओं द्वारा जमीन की कीमत बढ़ने से यह दावा वादीगण से कराने का अभिकथन बिल्कुल असत्य व अस्वीकार है क्योंकि वादीगण अपने पूर्वजों की मुताबिक वाद पत्र संतान है। इसके लिए वादीगण जवाबुल के साथ वयनामा, नल, बिजली, के बिल व राशन कार्ड एवं अन्य तहरीर दस्तावेजात प्रस्तुत कर रहे है। जिनसे स्पष्ट है कि वादीगण मुताबिक वाद पत्र में दर्ज अपने पूर्वजों की ही संतानें है जो जीवित मौजूद है। इसी मद में वादीगण के पूर्वजों का कब इन्तकाल हुआ यह दर्ज करना कानूनन कतई आवश्यक नही है ना ही उनकी मृत्यु की तारीख अंकित करना आवश्यक है। वादीगण द्वारा ऐसा अभिकथन करने की हिमाकत नही की है वादीगण संवत् 2010 लगायत 2013 में दर्ज वादीगण के पूर्वजों की संतानें नही है। वादीगण द्वारा स्पष्ट अभिवचन किये हैं। इसलिए जवाब मय काउन्टर क्लेम में वर्णित अभिकथन वादीगण के दावा को निरस्त करने के लिए लेशमात्र भी सहयोगी नही है और दावा वादीगण मुताबिक वाद पत्र डिक्री होने योग्य हैं। जब प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों ने वादीगण से छुपाकर गलत तरीके से विवादित जमीन के 12 विस्वा का मुआवजा प्राप्त किया है तो वादीगण प्रतिवादीगण से उसे वसूल करने के अधिकारी है। वादीगण की जानकारी से प्रतिवादीगण ने मुआवजे की राशि प्राप्त की हो कोई तथ्य दर्ज नही किया है। उसके उपरान्त भी वादीगण प्रतिवादीगण से अवैध रूप से वसूल की गई मुआवजा राशी को वादीगण प्रतिवादीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारी के इन्द्राजों के आधार पर दावा प्रस्तुत किय है ना ही अकारण परेशान करने की गरज से पेश किया है। इसी मद में विवादित जमीन को 90/—रूपये में वादीगण के पूर्वजों द्वारा विक्रय करने का अभिकथन अनावश्यक दोहराया है। इस संबंध में पूर्व में मद संख्या 1 में जवाबदेही की जा चुकी है। विवादित जमीन का गलत तौर अवाप्ति की कार्यवाही हो जाना उसके आधार गलत तौर पर मुआवजे की राशी प्राप्त कर लेने से वादीगण पाबंद नही है क्योंकि दावा दायरी से पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा दर्ज किये अभिकथनों से वादीगण तुरन्त ही खिलाफ प्रतिवादीगण सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करते। प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

द्वारा यह कथन करना कि अवाप्ति से शेष 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण नं0 2 व 3 को विक्रय कर दी गई एवं खसरा नं0 573 में से भी प्रतिवादीगण की अवैधानिक है और इससे वादीगण के हकों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है क्योंकि कि वादीगण उक्त कार्यवाही में पक्षकार नही थें। घोषणा के लिये दावा प्रतिवादीगण की अवैध कार्यवाही की जानकारी वादीगण को होने पर दावा करने से वादीगण के कोई अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है क्येांकि घोषणा के लिये कानून में कोई मियाद प्रस्तावित नही है। मद नं0 5 में विवादित जमीन का मुआवजा छल कपट से राज्य सरकार से प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त भी कर लिया है तो इससे वादीगण के अधिकार समाप्त नही होते है। मुआवजे की राशि के लिये अलग से कार्यवाही की जाकर मुआवजा राशि प्रतिवादीगण से प्राप्त करने में कोई कानूनी रूकावट नही हैं। इसलिए इस आधार पर दावा वादी खारिज नही किया जा सकता है। जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम की उज्रात मजीद की मद नं0 1 में बुजुर्ग खातेदारान का कब इन्तकाल हुआ और कौन कौन से वारिस हैं यह तथ्य जवाब दावा मय काउन्टर में अनावश्यक दर्ज किये है। जब प्रतिवादीगण का यह स्वीकृत तथ्य है कि विवादित जमीन 90/–रूपये में प्रतिवादीगण ने मौजूदा वादीगण के बुजुर्गों से खरीद करने का अभिकथन किया है वह अव्वल तो गलत है और वादीगण जिन्होने अपने बुजुगों के वारिसान होने का आधार पर दावा प्रस्तुत किया है इन वादीगण के बावत् जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम में ऐसा अभिकथन नही है कि यह बुजुर्गों के वारिसान नही है वैसे इस संबंध में उपरोक्त मदों में विस्तृत जवाबदेही की जा चुकी है इस जवाबुल जवाब के साथ आवश्यक सभी दस्तावेजात प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इनसे स्पष्ट है कि बुजुर्गों के वारिसान मौजूदा वादीगण ही हैं। इसके अभाव में दावा को खारिज करने कोई उचित आधार नही हैं। दावा मय काउन्टर क्लेम की उज्रात मजीद की मद नं0 2 व 3 में दर्ज मियाद बावत् तथ्य कोई मायने नही रखते क्योंकि धारा 88 आर0टी0एक्ट के तहत कोई कानूनी मियाद निर्धारित नही है और राजस्व रिकॉर्ड की फर्जीयत की जानकारी होने पर दावा प्रस्तुत किया

अधिकारी
करौली (राज0)

है जो अन्दर मियाद है और अव्वल तो कोई बेचान हुआ ही नही है। फर्जी इन्द्राजातें को दुरूस्ती कराने का वादीगण को पूर्ण अधिकार है। जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम का उज्रात मजीद की मद नं0 4 में दर्ज तथ्य जिस प्रकार दर्ज है गलत है स्वीकार नही है। मात्र पिलाई के लिये बोर बना लेना इससे दावा वादीगण कानूनी आधार पर प्रस्तुत करने पर कोई रूकावट नही है। जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम की उज्रात मजीद की मद नं0 5 के अनुसार राजस्व भूमि की घोषणा करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है ना की दीवानी अदालत को है। जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम की उज्रात मजीद की मद नं0 6 में दर्ज तथ्य मनगढन्त है और इन तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण वादीगण के खिलाफ किसी प्रकार की हुक्म इम्तनाई दवामी प्राप्त करने के अधिकारी नही है ना ही इस कदर की कोई डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः काउन्टर क्लेम खारिज किया जावे एवं दावा वादी खारिज किया जावे।

वादी व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये:–

1. आया, विवादित आराजीयात ख0.न0 513, 569/1 वादीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की है। जिसको वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी है।

   ––वादीगण

2. आया, वादीगण की खातेदारी की भूमि का अंकन प्रतिवादीगण नं0 1 लगा0 3 ने बिना किसी अधिकार के राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम कराया है जिसे वादीगण दुरूस्त कराने की अधिकारी हैं।

   ––वादीगण

3. आया, वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

   ––वादीगण

4. आया, प्रतिवादी मुंशी ने विवादित आराजी 90/–रूपये मे खरीद की है।

   ––प्रतिवादीगण

5. आया, प्रतिवादीगण कब्जा 42 वर्ष से विवादित आराजी पर है। इसलिये दावा घोषणा बगैर कब्जा के दादरसी मांगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 34 के तहत वार्ड है।

   ––प्रतिवादीगण

6. आया, प्रतिवादीगण मुताबिक काउन्टर क्लेम दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी है।

   ––प्रतिवादीगण

   मजीद तनकी :– 6(अ) आया मृतक इब्राहिम, कमरूद्दीन, गुलामनबी, मोहम्मद अलीमुद्दीन व निजामुद्दीन के सभी वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाये वगैर दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है।

   ––प्रतिवादीगण

[illegible] अधिकारी
[illegible] (राज0)

6(ब) आया दावा वादीगण अन्दर म्याद कैसे है म्याद में न होने से खारिज होने योग्य है।

— वादीगण

7. दादरसी :-

वाद विवाद्यक बिन्दू वादीगण साक्ष्य ली गई। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी नजमुद्दीन पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–3, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–4 पेश कर प्रदर्शित कराये है एवं गवाह जलालुद्दीन पीडब्ल्यू–2 व पीडब्ल्यू–3 गवाह बहाव खां एवं पीडब्ल्यू–4 अख्तर खां के बयान लेखबद्ध कराये है। साक्ष्य वादीगण समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में मुंशीलाल डीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में बिजली के बिल किता 2 प्रदर्श ए–1 व ए–2, रसीद प्रदर्श ए–3 लगायत ए–6, जमीन के फोटोग्राफ प्रदर्श ए–7, नकल जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श ए–8 व ए–9, नामांन्तकरण संख्या 314 प्रदर्श ए–10, लगान रसीद प्रदर्श ए–11 को पेश कर प्रदर्शित कराया है एवं गवाह डीडब्ल्यू–2 तुलसीराम, डीडब्ल्यू–3 जगदीशलाल, डीडब्ल्यू–4 रामगोपाल, डीडब्ल्यू–5 मनफुल एवं रिपिटल साक्ष्य में प्रतिवादी मुंशीलाल ने अपनी मौखिक साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2031–34 प्रदर्श ए–10, जमाबंदी संवत 2035–38 प्रदर्श ए–11, जमाबंदी संवत 2039–43 प्रदर्श–ए–12, जमाबंदी संवत 2044–47 प्रदर्श ए–13, जमाबंदी संवत 2052–55 प्रदर्श ए–14, जमाबंदी संवत 2060–63 प्रदर्श ए–15, जमाबंदी संवत 2068–70 प्रदर्श ए–16, जमाबंदी संवत 2064–67 प्रदर्श ए–17, जमाबंदी संवत 2068–71 प्रदर्श ए–18, जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श ए–19, जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श ए–20, जमाबंदी संवत 2076–79 प्रदर्श ए–21, गिरदावरी संवत 2032–35 दिनांक प्रदर्श ए–22, गिरदावरी संवत 2036–39 प्रदर्श ए–23, गिरदावरी संवत 2040–73 प्रदर्श ए–24, गिरदावरी संवत 2040–43 प्रदर्श ए–25, गिरदावरी संवत 2044–47 प्रदर्श ए–26,

करौली (राज०)

गिरदावरी संवत 2048–51 प्रदर्श ए–27, गिरदावरी संवत 2056–59 प्रदर्श ए–28, गिरदावरी संवत 2056–59 प्रदर्श ए–29, गिरदावरी संवत 2060–63 प्रदर्श ए–30 व ए–31, गिरदावरी संवत 2068–71 प्रदर्श ए–32 व ए–33, गिरदावरी संवत 2072–75 प्रदर्श ए–34, गिरदावरी संवत 2076–79 एवं संवत 2080–81 प्रदर्श ए–35 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि वाके कस्बा करौली में आराजी खसरा नं0 573 रकव 2 बीघा 13 विस्वा जिसका साविक खसरा नं0 538 है एवं आराजी खसरा नं0 569 रकव 2 वीघा 10 विस्वा जिसका साविक नं0 खसरा नं0 537 है। वादीगण के पूर्वज इब्राहिम, कमरूद्दीन, गुलामनदी, मोहम्मद अलीमुद्दीन व निजीमुद्दीन के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की रही है। जिसका इन्द्राज सेटलमेंट 2015 की जमाबंदी में दर्ज हैं। यह जमीन वादीगण के पूर्वजों को स्टेट टाइम में वक्शीश दी गई थी और सेटलमेंट से पूर्व वादीगण के पूर्वज उक्त विवादित जमीन पर काबिज रहे। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। इनके वादीगण वारिसान हैं और खातेदार काश्तकार रहे हैं। उक्त विवादित जमीन आराजी खसरा नं0 569 में से राजकीय सडक में उपयोग में आ चुकी हे और उसका हाल खसरा नं0 569/2 रकवा 12 विस्वा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं आराजी खसरा नं0 569/1 रकवा 1 वीघा 18 विस्वा वादीगण के खाते व कब्जेकाश्त की हैं सडक के अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा वादीगण को आज तक प्राप्त नही हुआ है। इसके संबंध में पृथक से कार्यवाही की जा रही है। आराजी खसरा नं0 573 एवं 569/1 की भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध नही है ना कभी खाते व कब्जे में रही है ना वादीगण के पूर्वज अथवा वादीगण ने रहन–वय की है। किन्तु प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 चालाक किस्म के व्यक्ति है इन्होंने विला किसी अधिकार के वादीगण से छुपाते हुये वादीगण खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि का अंकन राजस्व अधिकारियों से मिलकर गैरकानूनी तरीके से अपने नाम

करौली (राज0)

करा लिया है जो वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है और वादीगण के अधिकारों का हनन है। इसलिये वादीगण आराजी खसरा नं0 573 व 569 की खातेदारी घोषणा अपने नाम कराने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से मुताबिक सेटलमेंट उक्त विवादित भूमि की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करवाये जाने हेतु दिनांक 13.10.2014 को कहासुनी की तो प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 साफ इन्कार हो गये और कहने लगे कि विवादित भूमि हमारे खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। आपको कोई कार्यवाही करनी है तो अदालत खुली पडी है। प्रतिवादी के उक्त कथन से वादीगण के अधिकारी का हनन होने के कारण न्यायालय हाजा में दावा पेश करना पडा है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 से विवादित आराजी के उपयोग–उपभोग में बाधा न डालने के लिये उक्त तारीख को कहासुनी की तो राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रतिवादीगण व्यवधान डालने को आमादा है। इसलिए उनके खिलाफ वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि वादीगण के पूर्वजों को स्टेट टाइम में बकसीस में दी गई हो। वादीगण ने यह भी नही बताया है कि किसी स्टेट की किसी ऑथोरिटी ने वकसीस की व कब किस साल संवत् में की थी। बगैर साफ प्लीडिंग्स के जवाब दिया संभव नही है। वकसीस के वक्त कौनसा बुजुर्ग था जिसके नाम वकसीस की गई। सन् 1973 से पूर्व इब्राहिम, कमरूदीन, गुलामनबी अलीमुदीन, निजामुदीन, इन जमीनों पर काबिज काश्त कार थे। फरवरी 1973 में इन काश्तकारों ने मुन्शी पुत्र नारायण माली प्रतिवादी नं0 3 को जुबानी उपरोक्त जमीनों को बिल एवज 90 रूपये में विक्रय कर दीया और कब्जा जमीनों का मुंशी को दे दिया और जुबानी बेचान कर कब्जा देने के बाद बतौर याददास्त एक किता विक्रय की राशि की रसीद की लिखा पढी कर दी जिसे उन लोगों ने राजस्व अभियान कैम्प करौली ने बेचान स्वीकार करते हुये मुन्शी के नाम नामान्तकरण करा दिया। और मुन्शी वहैसियत खातेदारी इन जमीनों को जोतता बोता रहा है। विक्रय के बाद जमीनों को काबिल काश्त बनाया जमीनों

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

की काश्त को कुआ खुदवाया बोर करके। लगातार 1973 से बाद से उन खातेदारी का कभी भी कब्जा इन जमीनों पर नही रहा है। कब्जा मुन्शी 1973 से अब 42 साल से लगातार खुले आम चला आ रहा है। वादीगण का मद नं0 1 में यह लिखना गलत है कि वादीगण उनके पूर्वक है और यह भी गलत है कि वादीगण काबिज हो। करौली में भूमाफियाओं का जोर हे उन्होने गलत सलाह वादीगण को दे दी कि दावा कर दो दवाब मे आकर कुछ रूपये मिल सकते है इसलिये यह दावा गलत तथ्यों पर झूठा मनगढंत बना कर पेश कर दिया है। वादीगण ने भी नही बताया है कि इब्राहिम कब मरा और कौन मरने पर वारिस हुआ, कब कमरूदीन मरा, उसका कौन वारिस बना कब गुलामनबी मरा, कब अलीमुदीन मरा, कब निजामुदीन मरा कौन वारिस हुआ। मोहम्मद के मुताबिक मरने पर हकूक जायदाद पैदा होते है। मरने के बाद से ही हक पैदा होते है और उसी दिन से बेचान को चैलेन्ज करने की मियाद शुमार होती है इसलिए वादीगण दावा की प्लीडिंग वोगस है जिन पर कोई रिलीफ नही दिया जा सकता है। वादीगण को कोई हक अब 18/11/2014 को दावा करते वक्त न तो घोषणा कराने का अधिकार है न हुक्म इम्तनाई दवामी जारी कराने का अधिकारी हैं। सडक में जमीन 12 विस्वा आना बताया गया है उसका मुआवजा प्रतिवादीगण को मिला है। वादीगण को मुआवजा का कोई अधिकार नही था। वादीगण अगर खातेदार काश्तकार होते तो उस समय कार्यवाही करते व हमारे अधिकार को चेलेंज करते। 569/1 व 573 नं0 की जमीनों से वादीगण का कोई ताल्लुक नही है। वादीगण न तो खातेदार है न उनका कब्जा है बेमतलब का झगडा करके प्रतिवादीगण को परेशान करने को यह दावा किया है। प्रतिवादीगा मुंशी ने यह जमीन जुबानी खरीद 90 रूपया में खरीद की है। उस समय के खातेदारान ने राजी खुशी 90 रूपये लेकर मुंशी को जुबानी बेच कर कब्जा कराया है और उसके बाद बतौर याददास्त रसीद बेचान प्राप्ती 90 रूपये तहरीर की थी जो राजस्व अभियान में पेश की और नामान्तकरण तस्दीक मुंशी के नाम हुआ व खाता भी मुंशी के नाम हो गया। कुछ जमीन सडक में एक्यूआर हो गई जिसका मुंशी को सरकार

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुआवजा दिया उसे भी चैलेन्ज नही किया जा सकता है। ऐक्यारेशन के बाद उसे अब रेवेन्यू कोर्ट में चैलेन्ज भी नही किया जा सकता है। मुझ मुंशी की जमीन एक्यारेशन के बाद 12 बिस्वा खसरा नं0 569 में कम हो कर 1 बीघा 18 बिस्वा रही जिसे मैने प्रतिवादी नं0 2 व 3 को 13/2/2009 को बय कर दिया व खसरा नं0 573 में से 1 बीघा 18 बिस्वा प्रतिवादी नं0 2, 3 को भी 13/2/2009 को बय कर दी। बाकी बदस्तूर मुझ मुंशी के पास हैं। इब्राहिम, गुलामनबी, अलीमुदीन निजामुदीन पर काश्त नही होती थी पहले भी मुंशी के पिता जोतते थे इसलिये उन्होने 90 रूपये में यह जमीन मुंशी को बेच दी कब्जा करा दिया व 90 रूपये प्राप्त कर लियें। वादीगण ने 13/10/2014 को प्रतिवादीगण से कहा सुनी की हो यह भी गलत हैं। झूठी व मनगढंत तथ्य दर्ज कर दिये है। और स्वीकार नही हैं। वादीगण कोई दादरसी पाने के अधिकारी नही हैं। वादीगण न तो खातेदार है न कब्जेदार है। कब्जा व खाता प्रतिवादीगण हैं। वादीगण निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है। विनाय मुखासमत दिनांक 13/10/2014 को पैदा हुई। बिनाय मुखासमत तो सन् 1973 में ही पैदा हो चुकी थी। प्रतिवादी मुंशी को खातेदारान इब्राहिम कमरूदीन वगैरह ने कब्जा 1973 में ही दे दिया था। उन्होने 90 रूपये लेकर कब्जा जमीन मुंशी को दे दिया जुबानी बेचान कर दिया और खाता भी 1973 में चेन्ज हो गया और लगातार 1973 से प्रतिवादी काबिज है। जमीन पर वाहिद कब्जा प्रतिवादी मौके पर है। कागजो में इन्द्राज उसी समय रेवेन्यू रिकार्ड में है। मुआवजा जमीन सरकार ने दिया है। 1973 के बाद अब 42 साल बाद दावा किया है इसलिये कोई मियाद दावा की नही रहती है। दावा अंदर मियाद किसी हालत में नही है। वादीगण ने अपने बताये बुजुर्गों खातेदारान कब कब मरे उसकी तारीख सन संवत् कुछ भी नही लिखा। मरने पर कौन लडका कौन लडकी स्त्री मौजूद थी कुछ भी नही लिखा है। महज बोगस लडको के नाम लिखा दिये हैं। कब बुजुर्गों मरा कब राईटस पैदा हुये कुछ भी दर्ज नही है। ऐसी प्लीडिंग काबिल गौर नही है। वादीगण का दावा अंदर मियाद कैसे है यह भी नही बताया गया है। वादीगण का कोई हक 42 साल वाद अपने पूर्वजों

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

के बेचान को चेलेन्ज करने का नही है। वादीगण काबि‍त काश्तकार नही है। प्रतिवादी का कब्जा 42 साल से खुले आम वादीगण देखते आ रहे है। प्रतिवादी ने जमीन बनाई है पिलाई को बोर खुदवाया है मुआवजा सरकार से लिया है फिर भी आंख बंद किये हुये वादीगण बैठे रहे अब दावा घोषणा बगैर कब्जा की दादरसी मांगे सपेसीफिक रिलीफ एक्ट धारा 34 के तहत वार्ड है। दावा सिविल कोर्ट के समाअत का है। बेचान को चेलेन्ज करने का हक सिविल कोर्ट को है। प्रतिवादी खातेदार काश्तकार काबिज हैं। वादीगण का कोई हक हकूक नही है। वादीगण शांति पूर्वक कब्जे में प्रतिवादीगण से नाजायज झगडा करना चाहते है और जबरन बेदखल भूमाफियाओं के जरिये कराने को यह दावा किया है। प्रतिवादीगण कानूनी तौर से खातेदार काश्तकार काबिज हैं। इसलिये प्रतिवादीगण प्रार्थना करते है कि वादीगण को पाबंद जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी किया जावे कि वादीगण की दावा वर्णित जमीनों पर मदाखलत मजाहमत नही करे प्रतिवादीगण के कब्जे में रूकावट नही डाले न अन्य से डलवाये बतौर काउन्टर क्लेम वादीगण के विरूद्व डिक्री पारित की जावें एवं वकील प्रतिवादीगण ने मौखिक बहस के समर्थन में लिखित बहस पेश की है। अंत में दावा वादी खारिज एवं काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादीगण ने अपनी बहस के साथ निम्न नजीरें पेश की है। डीएनजे, 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 145, डीएनजे, 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 263, डीएनजे, 2004 (1) सुप्रीम कोर्ट पेज 252, डीएनजे, 2000 राजस्थान पेज 244, डीएनजे, 2013 (1) राजस्थान पेज 358, डीएनजे, 2014 (3) राजस्थान पेज 1084, डीएनजे, 2016 (3) राजस्थान पेज 16, डीएनजे, 2017 सुप्रीम कोर्ट पेज 130, आर आर डी 1979 पेज 527 एवं 774, आर आर डी 2016, पेज 1, डीएनजे 2013 रेवेन्यू पेज 185, आर आर डी 2003 पेज 115,

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज जमाबंदी का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रकरण में तनकीवार विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है जो निम्न प्रकार है

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है। विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में वादीगण ने प्रदर्श 2 सेटलमेंट खतौनी संवत 2015 प्रस्तुत की है। जिसमें वादग्रस्त भूमि माफी बनाम इब्राहिम कमरूददीन गुलाब नबी व मौहम्मद अजीमुददीन व निजामुददी पिसरान मेढ़ू जाति मुसलमान सा0 देह पट्टी नंबर 61 भू प्रबंध सेटलमेंट संवत 2015 के कॉलम 3 में एवं कॉलम नंबर 5 में कब्जा कृषक बतौर मकबूजा माफी दारान दर्ज है एवं प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2010–13 प्रस्तुत की है। जिसमें भी प्रदर्श–1 सेटलमेंट खतौनी 2015 में दर्ज इन्द्राज ही दर्ज है एवं नक्शा शीट प्रदर्श–4 प्रस्तुत की है एवं मौखिक साक्ष्य में वादीगण नजमुददीन पीडब्ल्यू–1, गवाह जलालुददीन पीडब्ल्यू–2 व पीडब्ल्यू–3 गवाह बहाव खां एवं पीडब्ल्यू–4 अख्तर खां ने मौखिक साक्ष्य दी है कि भूमि वादीगण के पूर्वजों के समय की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा जबाव दावा में भूमि को इब्राहिम वगै0 से फरवरी 1978 में प्रतिवादी नंबर 3 मुंशी द्वारा जुबानी तौर पर 90/– रूपये में खरीद करना बताया है और रसीद लिखना बताया है। परन्तु पत्रावली में कोई विक्रय राशि की रसीद इब्राहिम वगै0 द्वारा मुंशी प्रतिवादी नंबर 3 को तहरीर की गई हो प्रस्तुत नहीं की है। जबकि नामान्तकरण प्रदर्श ए–9 विक्रय पत्र दिनांक 20.02.1973 का अंकन किया गया है एवं जुबानी विक्रय का नामान्तरकरण में कोई अंकन नहीं है। उक्त नामांतकरण दिनांक 01.11.1974 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रतिवादीगण ने विक्रय पत्र दिनांक 20.02.1973 को विद हैल्ड किया है। अचल संपत्ति का कोई बेचान संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के तहत जुबानी नहीं होता है। नामान्तकरण पर इब्राहिम वगै0 के सहमति के भी कोई हस्ताक्षर भूमि विक्रय के संबंध में एवं 90/– प्रतिफल राशि प्राप्त करने का एवं कब्जा प्रतिवादी नंबर 3 को संभलवाने का अंकन नहीं है। प्रतिवादीगण ने मौखिक साक्ष्य में मात्र फरवरी 1973 से कब्जा काश्त होना बताया है। बिजली बिल व रसीद प्रस्तुत की है एवं लगान रसीद प्रस्तुत की है

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

उनमे कोई खसरा नंबर भूमि का अंकित नही है। नामान्तकरण नंबर 354 है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। प्रतिवादीगण भूमि को इब्राहिम वगै0 90/- रूपये में खरीद करना साबित करने में असफल रहे है। भूमि पर वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में अपना कब्जा होना बताया है। इस प्रकार वादीगण ने विवाद्यक संख्या 1 के द्वारा भूमि के खातेदार काश्तकार होना भू-प्रबंध सेटलमेंट संवत 2015 एवं जमाबंदी संवत 2010-13 से अपने हक में साबित किया है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। इस विवाद्यक के संबंध में वादीगण ने भू-प्रबंध सेटलमेंट जमाबंदी संवत 2015 प्रस्तुत की है। जिसमें भूमि वादीगण के पूर्वज इब्राहिम वगै0 के खातेदारी में अंकित है। नामांतकरण नंबर 354 प्रदर्श ए-7 बिना किसी विक्रय पत्र के एवं बिना अधिकार के राजस्व कर्मियों से प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा अपने हक में दर्ज कराया जाना वादीगण ने अपनी साक्ष्य मौखिक में बताया है। जिसमें खण्डन में प्रतिवादीगण ने भूमि को इब्राहिम वगै0 से प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा जुबानी 90/- रूपये में खरीद कराना बताया है एवं याददाश्त में प्रतिफल की रसीद इब्राहिम वगै0 द्वारा लिखना बताया है। परन्तु ऐसी कोई रसीद प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं की है। जबकि नामांतकरण नंबर 354 दिनांक 1.11.1974 प्रदर्श ए-9 में कॉलम नंबर 14 विक्रय पत्र दिनांक 20.02.1973 का अंकन किया गया है। जिससे प्रकट होता है कि नामांतकरण बिना किसी विक्रय पत्र के अवैध तौर पर राजस्व कर्मियों से प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा साजिशी तौर कराया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 20.02.1973 का कोई विक्रय पत्र या रसीद वादीगण साक्ष्य के खण्डन में प्रस्तुत नहीं की है। वादीगण नामांतकरण नंबर 354 अवैध दर्ज होना प्रकट होना वादीगण ने अपनी साक्ष्य से साबित किया है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार भी वादीगण पर है। इस विवाद्यक संख्या के संबंध में वादीगण ने मु [illegible] जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श-2 प्रस्तुत की है। जिसमें भूमि वादीगण के पूर्वज इब्राहिम वगै0 के खातेदारी व कब्जे की दर्ज है। वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में भूमि को वादीगण के पूर्वजों द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 को विक्रय से इंकार किया है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा भूमि को 90/- रूपये में जुबानी तौर पर इब्राहिम वगै0 से प्रतिवादी नंबर 3 मुंशी द्वारा खरीद करना बताया है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई खरीद दस्तावेज पत्रावली में दिनांक 20.02.1973 का प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी नंबर 3 मुंशी के हक में नामांतकरण बिला आधार है। संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के तहत कृषि भूमि अचल संपत्ति का बेचान बिना किसी लिखित विक्रय पत्र दस्तावेज के एवं प्रतिफल अदायगी के बिना नहीं किया जा सकता है। वादीगण भूमि के खातेदार काश्तकार और वादीगण ने भूमि पर मौखिक साक्ष्य कब्जा काश्त होना बताया है। अतः विवाद्यक संख्या 3 वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण इस विवाद्यक के संबंध में अपनी मौखिक साक्ष्य में बताया है एवं जबावदावा में मद नंबर 1 में बतौर याददाश्त एक किता विक्रय की राशि की रसीद की लिखा पढी इब्राहिम वगै0 द्वारा कर देना दर्ज किया है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रसीद पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। जिससे भूमि खरीद की प्रतिफल राशि 90/- रूपये इब्राहिम वगै0 को अदा की गई हो और भूमि पर कब्जा इब्राहिम वगै0 द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 मुंशी को दिया गया हो साबित नहीं किया है। जिसके खण्डन में वादीगण द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में वादीगण के पूर्वज इब्राहिम वगै0 द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 मुंशी को भूमि 90/- रूपये में विक्रय करने से एवं कब्जा देने से इंकार किया है। प्रतिवादीगण ने अपने जबावदावा में दर्ज याददाश्त की एक किता विक्रय की राशि की लिखापढी को पत्रावली में प्रस्तुत नही कर विद हैल्ड किया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण इस विवाद्यक को साबित करने में असफल रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

अत विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण दिनांक 20.02.1973 वादीगण पितागण व पूर्वज इब्राहिम वगै0 द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 मुंशी को वादग्रस्त भूमि को विकय करने एवं 90/– रूपये प्रतिफल राशि इब्राहिम वगै0 द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 से प्राप्त कर ली हो एवं कब्जा भूमि पर इब्राहिम वगै0 द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 को दिया गया हो। किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है। घोषणा धारा 88 आर टी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार भी घोषणा कराने के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जिससे दावा वादीगण वार्ड नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 6 को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने भूमि को जुबानी खरीद करना अपने जबावदावा में दर्ज किया है एवं विक्रय की लिखापढी याददाश्ती इब्राहिम वगै0 द्वारा लिखापढी किया जाना बताया है। परन्तु कोई दस्तावेज इस प्रकार का पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। नामांतकरण नंबर 354 दिनांक 1.11.1974 में विक्रय पत्र दिनांक 20.02.1973 का बताया गया है। यह दस्तावेज भी प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र बिला आधार जमाबंदी इन्द्राज व अवैध नामांतकरण से प्रतिवादीगण को भूमि में कोई खातेदारी अधिकार विधि अनुसार भूमि का विधिवत हस्तान्तरण नहीं होने से एवं उद्गम का आधार नहीं होने बिला आधार नामान्तकरण से वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण को कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। जिसके खण्डन में वादीगण द्वारा भू–प्रबंध सेटलमेंट संवत 2015 की जमाबंदी प्रदर्श–2 पेश की है। जिसमें इब्राहिम वगै0 के खातेदारी में भूमि वादीगण के पितागण व पूर्वजों के नाम दर्ज है और वादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना बताया है। प्रतिवादीगण भूमि वादग्रस्त के खातेदार काश्तकार साबित करने में

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 6 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष मे तय कर निर्णित किया जाता है।

मजीद विवाद्यक संख्या 6 (अ) को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव दावा में यह दर्ज नही किया है कि वादीगण के अलावा मृतक इब्राहिम, कमरूद्दीन, गुलाब नबी, मोहम्मद अमीनुद्दीन व निजामुद्दीन के वारिसान कौन है और उनके नाम अंकित नहीं किये है। प्रतिवादीगण इस विवाद्यक को विधिवत साक्ष्य से साबित करने में असफल रहे है। वादीगण ने मृतकगण के वारिसान होना दर्ज किया है। अतः विवाद्यक संख्या 6 (अ) प्रतिवादीगण के विरूद्व वादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 6 (ब) के साबित करने के भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वादपत्र के मद नंबर 5 में बिनाय दावा दिनांक 13.10.14 को वादग्रस्त आराजीयात के इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के हक में कराने से प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने पर एवं वादीगण के कब्जे उपयोग उपभोग में बाधा डालने पर पैदा होने पर अंदर म्याद पेश किया जाना दर्ज किया है। धारा 88 आर टी एक्ट में इन्द्राज दुरूस्ती में घोषणा खातेदारी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे दावा घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा म्याद बाहर हो। अतः विवाद्यक संख्या 6 (ब) वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 7 दादरसी है। विवाद्यक संख्या 1 ता 6 व 6 (अ) व 6 (ब) के विवेचन से वादग्रस्त आराजी वादीगण के पितागण व पूर्वज इब्राहिम वगै0 के खातेदारी व कब्जे काश्त की होना भू-प्रबंध सेटलमेंट खतौनी संवत 2015 प्रदर्श-2 एवं जमाबंदी संवत 2010-13 प्रदर्श-3 से प्रकट होती है। नामांतकरण नंबर 354 दिनांक 1.11.1974 बिला आधार बिना किसी विक्रय पत्र के दर्ज होना एवं बिला आधार व अवैध नामांतकरण से प्रतिवादी नंबर 3 के हक में अवैध खातेदारी इन्द्राज दर्ज होना एवं प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा अवैध खातेदारी इन्द्राज के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

आधार पर प्रतिवादी नंबर 1 व 2 को भूमि हस्तान्तरण किया जाना प्रकट होता है एवं प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा नामांतकरण नंबर 354 दिनांक 1.11.1974 मे दर्ज विक्रय पत्र दिनांक 20.02.1973 एवं अपने जबाव दावा के मद नंबर 1 में दर्ज याददशत एक किता विक्रय की राशि की लिखापढी फरवरी, 1973 को पत्रावली में प्रस्तुत नही किया गया है। इन समस्त तथ्यों से इब्राहिम वगै0 द्वारा प्रतिवादी नंबर 3 को भूमि वादग्रस्त को विक्रय नहीं किया जाना प्रकट होता है। प्रतिवादी नंबर 3 के हक में हुए अवैध नामांतकरण एवं खातेदारी इन्द्राज एवं हक हकूक वादीगण पर शून्य प्रभावहीन है। वादीगण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषणा अपने हक में भूमि के खातेदार काश्तकार होने कराने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के हकदार है। दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। वादीगण को आराजी खसरा नंबर 573 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 569/1 रकबा 1 बीघा 18 कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपने हक में खातेदारी इन्द्राज अमल कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी नंबर 1 ता 3 का नाम खातेदारी से हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई व्यवधान न तो स्वंय डाले ना ही दीगर व्यक्तियों से डलवाये एवं भूमि को रहन वय नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, करौली को पालनार्थ भिजवायी जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....6/4/26.... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
करौली